

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 20/6/2017

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-19/2017 श्र०सं० 21 /श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम सेवा संवर्ग के निम्नांकित 2 पदाधिकारी को वित्त विभाग के संकल्प सं० 630 दिनांक 21.01.10 एवं परिपत्र सं० 3623 दिनांक 31.3.10 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 01.01.06 अथवा 4 वर्षों की सेवा (सम्पुष्टि सहित), जो भी बाद हो, के अनुरूप उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 5 में अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 5,400/- में वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला	वरीयता क्रमांक	नियुक्ति की तिथि/सम्पुष्टि की तिथि	पे बैंड-3, ग्रेड पे 4800 के बदले पे बैंड-3 ग्रेड पे 5400 की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश कुमार, समस्तीपुर	19	14.4.99 14.4.01	01.01.06	
2	श्री अकबर जावेद आजाद, भोजपुर	20	11.3.99 11.3.01	01.01.06	

2. भविष्य में इस अधिसूचना में अंकित सूचनाओं से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि या भिन्नता पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित किया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

3. विभागीय अधिसूचना सं० 302, दिनांक 11.02.15 द्वारा उक्त दोनों पदाधिकारियों को क्रमशः 14.4.09 एवं 11.3.09 के प्रभाव से दी गयी प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन को रद्द किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कामेश्वर प्रसाद)
30/6/17
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-19/2017.....21...../ पटना, दिनांक-2016/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / श्रमायुक्त, बिहार, पटना / सम्बन्धित दोनों पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 630 दिनांक 21.01.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत करें।


सरकार के उप सचिव